छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर - 208 024

कार्य परिषद की बैठक दिनांक १७ फरवरी, १९९९ को सायं ४:०० बजे विश्वविद्यालय के कार्य-परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ----

१. डॉ० के०बी० पाण्डेय, *कुलपति*	अध्यक्ष
२. डॉ० एस०वी० मिश्र, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, के०ए०डी० कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
३. डॉ० एम०पी० सिन्हा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर	सदस्य
४. डॉ० आर०आर० शर्मा, रीडर, शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर	सदस्य
५. डॉ० शिशुपाल सिंह भदौरिया, प्रवक्ता, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा,छ.शा.महा.विश्वविद्यालय,कानपुर	सदस्य
६. श्री एम०एल० यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव	सदस्य
७. डॉ०(श्रीमती) आशा श्रीवास्तव, प्राचार्या, एन०ए०के०पी० महाविद्यालय, फर्रूखाबाद	सदस्य
८. डॉ०(श्रीमती) कमल द्विवेदी, प्राचार्या, डी०जी० कालेज, कानपुर	सदस्य
९. डॉ०(श्रीमती) ममता कालिया, प्राचार्या, महिला सेवा सदन डिग्री कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
१०. डॉ० एस०के० त्रिवेदी, अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर	सदस्य
११. डॉ० जी०एस०दुबे, गणित विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर	सदस्य
१२. श्री जे०एन० रैना, वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य
१३. श्री बी०के० पाण्डेय, कुलसचिव	सचिव

कार्य-विवरण

सर्व प्रथम माननीय कुलपति जी ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। कार्यपरिषद ने दिनांक २८/१२/९८ के दीक्षान्त समारोह का मितव्ययिता पूर्वक सफल आयोजन के लिये माननीय कुलपति जी की सराहना की।

कार्य परिषद् ने विचारणीय मदों पर अग्रलिखित निर्णय लिया -

१. कार्य-परिषद की विगत बैठक दिनांक २२ दिसम्बर, १९९८ के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

कार्य-परिषद ने विगत बैठक दिनांक २२ दिसम्बर, १९९८ के क्रियान्वयन से अवगत होते हुए उसका सम्पुष्टिकरण किया।

२. वित्तीय वर्ष १९९८-२००० हेतु वित्त समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार -

कार्य-परिषद ने वर्ष १९९९-२००० हेतु वित्त समिति की संस्तुतियों(बजट) का अनुमोदन किया।

३. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के मान्यता/विषयों की मान्यता प्राप्त एवं समाप्त होने के सम्बन्ध में सूचना-

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों की मान्यता/विषयों की मान्यता समाप्त/प्राप्त हो गयी है उनकी सूची कार्य-परिषद पटल पर रखते हुए कुलसचिव ने अवगत कराया कि माह अगस्त में सम्बन्धित महाविद्यालयों को इस आशय का पत्र प्रेषित कर दिया गया था कि जिन कालेजों/विषयों की मान्यता की अवधि समाप्त हो गयी है उनमें कोई प्रवेश न लिये जाय तथा उक्त के सम्बन्ध में माह दिसम्बर में अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया।

उपरोक्त समस्याओं पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत करते हुए निर्णय लिया कि जिन महाविद्यालयों/विषयों में ३०/०६/९९ तक आगामी वर्ष के लिये मान्यता न प्राप्त हुई हो उनको अभी से संसूचित कर दिया जाय कि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों/विषयों में अगले वर्ष प्रवेश न लें।

उपरोक्त प्रकरण में कार्य-परिषद् ने निर्णय लेते हुए कहा कि जिन महाविद्यालयों/विषयों की मान्यता समाप्त हो गयी है उनमें जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया है उनका नुकसान नहीं होना चाहिये।

- क्रमशः पृष्ठ २ -

४(क) विश्वविद्यालय में कार एवं जीप के क्रय पर विचार -

कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में एक नयी कार एवं जीप का क्रय कर लिया जाय।

४(ख) विश्वविद्यालय में पुरानी एवं निष्प्रयोज्य पड़ी एक कार एवं जीप के निस्तारण पर विचार -

कार्य-परिषद ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में पुरानी एवं अनुपयुक्त पड़ी एक कार तथा एक जीप का निस्तारण कर दिया जाय।

४(ग) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यपरिषद के समक्ष रखे गये अन्य विचारणीय मद -

अध्यक्ष की अनुमति से श्री राजेश कुमार मिश्र, निलम्बित कनिष्ठ सहायक का प्रकरण उठाया गया जिसके सम्बन्ध में कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के आलोक में विधिक अभिमत प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

४(घ) अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव आया कि प्रत्येक वर्ष तीन या चार ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनका लेक्चर कराया जाय -

कार्य-परिषद् ने सर्वसम्मति से उपरोक्त सुझाव को स्वीकार करते हुए यह भी प्रक्रिया निर्धारित किया कि आमन्त्रण हेतु समस्त प्राचार्यों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जायेगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जायेगा।

४(च) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय में दो वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षकों को स्थायीकरण का प्रकरण उठाया -

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि शिक्षकों के जो पद शासन द्वारा स्थायी रूप से सृजित नहीं किये गये हैं उन्हें स्थायी रूप से सृजित करने हेतु शासन को पत्र लिख जाय।

४(छ) डॉ०बाल प्रभाकर सिंह, प्रवक्ता, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय से अवकाश लेकर अपने मूलपद पर वाई०डी० कालेज, लखीमपुर-खीरी जाने से सम्बन्धित प्रकरण अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से उठाया गया -

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि डॉ० बाल प्रभाकर सिंह का अवकाश प्रकरण नियमतः स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

४(ज) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत किन्तु राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत पदों का प्रकरण उठाया गया-

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत किन्तु राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत पदों के सम्बन्ध में शासन को पुनः पत्र लिखा जाय तथा उसकी प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी प्रेषित किया जाय।

४(झ) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रूके हुये भुगतान कराने का प्रकरण एक बार पुनः उठाया गया-

उपरोक्त प्रकरण में कार्य-परिषद ने निर्णय लिया कि राज्य शासन के आदेश के बिना अनानुमोदित मदों का भुगतान नहीं किया किया जा सकता साथ ही राज्य शासन से अनुमति की पैरवी हेतु गठित समिति के स्थान पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी।

१. श्री जे०एन० रैना
२. डॉ० शिशुपाल सिंह भदौरिया
३. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ
४. मन्त्री, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ
५. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद
६. मन्त्री, विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।